न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजांवत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 218/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कैलाशदान पुत्र मुरारदान 2. दुर्गादान पुत्र मुरारदान 3. नारायणदान पुत्र रतनदान (सभी जाति चारण, निवासी ग्राम गूंगा, तह0 शिव, जिला बाडमेर)		1. चन्दनदान पुत्र जीवनदान 2. ईश्वरसिंह पुत्र जीवनदान 3. उत्तमदान पुत्र जीवनदान 4. जीवनदान पुत्र शंकरदान (सभी जाति चारण, निवासी ग्राम गूंगा, तह0 शिव, जिला बाडमेर) 5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिव, जिला बाडमेर

प्रफोर्मा पार्टी

1. खीमदान पुत्र सेणीदान
2. महेशदान पुत्र सेणीदान
3. इन्द्रदान पुत्र विजयदान
4. गवरीदेवी पत्नी रतनदान
5. सर्वेश्वरसिंह पुत्र रतनदान

(सभी जाति चारण निवासी ग्राम गूंगा, तहसील शिव, जिला बाडमेर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिव राजस्व आवेदन सं0 02/2022 आदेश दिनांक 21.3.23 एवं 22.3.23

उपस्थिति –
1. श्री मोतीसिंह वकील अपीलांट्स
2. श्री लाधूराम पूनिया वकील रेस्पो0 सं0 1 से 4
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.06.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4–चन्दनदान वगैरा ने विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील शिव के ग्राम गूंगा स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 472 एवं ख0नं0 1106/472 रकबा क्रमशः 2.4281 व 3.7231 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.3.22 के अनुसार विप्रार्थी सं0 1 से 8 बावजूद नोटिस तामिल में अनुपस्थित रहने से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नेखमबंदी से पूर्व विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक समझते हुए नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही करने व तत्पश्चात नेखमबंदी करने का आदेश पारित किया गया। उक्त क्रम में कार्यालय आदेश कमांक 1981 दिनांक 22.03.2022 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थीगण को उल्लेखित खसरान की विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए उक्त भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि जमाबंदी संवत 2076–79 के अनुसार खसरा सं0 474 रकबा 14.1802 किस्म बारानी अव्वल अपीलांट्स–विप्रार्थी सं0 3, 4 व 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जो ऑनलाईन भूनक्शा अनुसार प्रार्थी–रेस्पो0 के विवादित खसरा नं0 472 के सेढासेढ पडौस में स्थित है व ख0नं0 472 के पास प्रार्थी के अन्य ख0नं0 1106/472 की भूमि स्थित है। प्रार्थी–रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खेतो की बीच कच्चे/पक्के माठ या सीमाा चिन्ह नही होने से काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार के समय आपसी सीमा विवाद रहने के कारण पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थीगण–अपीलांट्स के नोटिस तामिल के बिना व सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्थगढी का आदेश पारित कर दिया गया। जो विधि विरूद्ध, मनमाना व तथ्यों के विपरित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब किए बिना ही सीधी बहस सुनकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। विवादित भूमि पर अपीलांट्स की कदीमी खातेदारी व कब्जासुदा खेत की माठ स्थित है, जिस पर कोई सीमा विवाद नही है। प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा सीमा विवाद का कोई ठोस प्रमाण भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस की कदीमी खातेदारी व कब्जासुदा खेत की माठ प्रभावित होती है व इसकी आड में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थी–रेस्पो0 उक्त भूमि पर कब्जा करने को आमदा है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4–द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थी सं0 1 से 8 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नेखमबंदी से पूर्व विवादित भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही करने के तत्पश्चात नेखमबंदी करने का आदेश पारित किया गया। जिसके लिए कार्यालय आदेश कमांक 1981 दिनांक 22.30.2022 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थीगण को उल्लेखित खसरान की विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए उक्त भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.05.2022 के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर नेखम स्थापित किए जा चुके है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही होने से अपील अपीलांट खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4–द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थी सं0 1 से 8 बावजूद नोटिस तामिल में अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नेखमबंदी से पूर्व विवादित भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही करने के तत्पश्चात नेखमबंदी करने का आदेश पारित किया गया। जिसके लिए कार्यालय आदेश कमांक 1981 दिनांक 22.30.2022 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थीगण को उल्लेखित खसरान की विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

(नागौर)

भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.05.2022 के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर अपीलाधीन खसरान के समस्त कोनो पर नेखम स्थापित किए जा चुके है। अतः प्रकरण में इस स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित होना प्रतीत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से तद्नुसार खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2022 एवं 22.03.2022 यथावत बहाल रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 10 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

10.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर